"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 402] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई 2014—— श्रावण 2, शक 1936

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई, 2014 (श्रावण 2, शक 1936)

क्रमांक-8236/वि. स./विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014) जो गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई, 2014 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 14 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 में,-

"(एक) खण्ड (चौदह) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(चौदह) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति और उसे चांसलर के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;"

(दो) खण्ड (चौदह) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(चौदह-क) "कुलाधिसचिव" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव, और उसे रेक्टर के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;

(तीन) खण्ड (पन्द्रह) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(पंद्रह) "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति, और उसे वाइस चांसलर के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;"

(चार) खण्ड (बीस) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(बीस-क) "कुलसचिव" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलसचिव, और उसे रजिस्ट्रार के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;"

धारा 13 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(6) कुलपति की मृत्यु, पदत्याग, अवकाश, रुग्णता या अन्य कारण से, पद रिक्त होने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिपति-

(क) राज्य के निजी विश्वविद्यालय से भिन्न, किसी अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति, या

(ख) राज्य सरकार से सलाह के उपरांत, राज्य सरकार के किसी अधिकारी,

को कुलपति के रूप में, ऐसी तारीख तक कार्य करने के लिए नामित कर सकेगा, जब तक कि धारा 12 की उप-धारा (1) या उप-धारा (7), यथास्थिति, के अधीन नियुक्त कुलपति पद ग्रहण न कर ले :

परंतु यह कि इस उप-धारा में अनुध्यात की गयी व्यवस्था, छ: माह से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रहेगी."

4. मूल अधिनियम की धारा 17 विलोपित की जाये. — धारा 17 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- — धारा 18 का संशोधन.

"18.(1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक, वैतनिक अधिकारी होगा तथा वह कुलपति के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा वह कार्य परिषद्, शैक्षणिक परिषद् तथा शैक्षणिक योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा.

(2) कुलसचिव की अर्हतायें ऐसी होंगी, जैसी कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जायें :

परंतु यह कि राज्य सरकार उच्चतर अर्हताओं को अंगीकार करने का निर्णय ले सकती है.

(3) कुलसचिव के रूप में नियुक्त व्यक्ति की पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह कि वह दूसरी पदावधि, जो तीन वर्ष से अधिक की न हो, के लिए पात्र होगा.

(4) राज्य सरकार, कुलाधिपति के अनुमोदन से, अपेक्षित योग्यता वाले-

(एक) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार, या

(दो) निजी विश्वविद्यालय से भिन्न विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय माने गये निजी संस्थाओं से भिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थान, या संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित संस्थान,

के किसी भी संवर्ग या पद के व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर कुलसचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगी.

(5) कुलसचिव संस्था के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधि और संपत्ति का अभिरक्षक होगा और अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उसे इनके समुचित अभिरक्षण, संधारण और संचालन को सुनिश्चित करने की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी.

(6) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे कि इस अधिनियम, इसके अधीन निर्मित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अधीन या कार्य परिषद् द्वारा समनुदेशित किए जाएं.

(7) कुलसचिव, कुलाधिपति या राज्य सरकार द्वारा मंगायी गयी सूचना या दस्तावेज, उनके द्वारा अपेक्षित रीति से, उपलब्ध करायेगा."

धारा 22 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"22.(1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(दो) तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव या उसका प्रतिनिधि, जो पदेन सदस्य होगा ;

(तीन) वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव या उसका प्रतिनिधि, जो पदेन सदस्य होगा ;

(चार) तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक आयुक्त या संचालक या उसका प्रतिनिधि, जो पदेन सदस्य होगा ;

(पांच) राज्य सरकार से परामर्श के उपरांत कुलाधिपति द्वारा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र से नामित तीन ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्, जो सदस्य होंगे :

परंतु यह कि इन शिक्षाविदों में से कम से कम एक व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र से होगा ;

(छः) विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित विधान सभा का एक सदस्य, जो सदस्य होगा ;

(सात) कुलाधिसचिव, जो पदेन सदस्य होगा ;

(आठ) राज्य सरकार से परामर्श के उपरांत कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेशित महाविद्यालयों या पॉलीटेक्निकों का नामित किया जाने वाला प्राध्यापक, जो सदस्य होगा ; और

(नौ) कुलसचिव, जो पदेन सदस्य-सचिव होगा.

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न, परिषद् के सदस्यगण दो वर्षों की कालावधि के लिये पद धारण करेंगे.

(3) परिषद्, तीन माह में कम से कम एक बार तथा जैसी आवश्यकता हो, बैठक करेगी.

(4) परिषद् की बैठक के समय और स्थान की सूचना और उसका एजेन्डा सदस्यों के मध्य, बैठक की तारीख से कम से कम दस दिवस पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किया जाएगा :

परंतु यह कि बैठक के एजेन्डा बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए सुसंगत सूचना और समर्थन दस्तावेजों से युक्त एजेंडा की टिप्पणियां, बैठक की तारीख से कम से कम पांच दिवस पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित की जाएंगी :

परंतु यह और कि एजेंन्डा की टिप्पणियों को निर्धारित समयसीमा में परिचालित करने में कोई कठिनाई होने की दशा में, इन्हें तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के भारसाधक सचिव की सहमति से बैठक के कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किया जा सकेगा.

(5) कुलपति, कभी भी, आपात् बैठक बुला सकेगा, परंतु उसमें ऐसा कोई कार्य संव्यवहृत नहीं किया जाएगा, जिसकी तत्काल अत्यावश्यकता न हो और ऐसी बैठक की सूचना और उसके लिये एजेन्डा, एजेंडा की टिप्पणियों सहित बैठक की तारीख से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किये जाएंगे :

परंतु यह और कि जहां स्थिति की यह मांग हो, कुलपति, कुलाधिपति की पूर्व अनुमति से, अल्पतर सूचना पर आपात् बैठक बुला सकेगा और उसके लिये एजेंडा, एजेंडा की टिप्पणियों सहित, ईमेल माध्यम सहित, अविलंब परिचालित किया जायेगा.

(6) परिषद् के छः सदस्यों से गणपूर्ति (कोरम) होगी.

(7) बैठक में कोई भी सदस्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भाग ले सकेगा और अपना मत (वोट) डाल सकेगा."

धारा 23 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 23 के खंड (बारह) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(बारह) शैक्षणिक परिषद् की अनुशंसाओं पर और इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महाविद्यालयों और पॉलीटेक्निकों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना, इन विशेषाधिकारों में से किसी को प्रत्याहृत करना और किसी महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक के प्रबंधन को अधिग्रहित करना :

परंतु यह कि नवीन महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक की स्थापना करने या डिप्लोमा या स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को जोड़ने या उसकी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए ऐसे किन्हीं विशेषाधिकारों को देने या उन्हें प्रत्याहृत करने या अधिग्रहित करने पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा स्वविवेकानुसार ऐसे विशेषाधिकार देने, उन्हें प्रत्याहृत करने, अधिग्रहित करने, जोड़ने, प्रवेश क्षमता आदि के लिए अनुमति न दी गई हो ;"

धारा 24 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) में,-

(एक) खंड (चार) में, शब्द "तकनीकी शिक्षा विभाग का भारसाधक सचिव" के स्थान पर, शब्द "तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव या विभाग से उसका प्रतिनिधि" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) खंड (पांच) में, शब्द "वित्त विभाग का भारसाधक सचिव" के स्थान पर, शब्द "वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव, या विभाग से उसका प्रतिनिधि" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 25 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 25 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"25. (1) शैक्षणिक परिषद्, विश्वविद्यालय की अकादमिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(दो) कुलाधिसचिव, जो पदेन सदस्य होगा ;

(तीन) तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक आयुक्त या संचालक, जो पदेन सदस्य होगा ;

(चार) विश्वविद्यालय अध्ययन विभागों का निदेशक, जो पदेन सदस्य होगा ;

(पांच) तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और शासकीय पॉलीटेक्निकों में शिक्षकों के संवर्ग से, राज्य सरकार से परामर्श के उपरांत कुलाधिपति द्वारा नामित दो शिक्षक, जो सदस्य होंगे ;

(छः) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेशित महाविद्यालयों और पॉलीटेक्निकों के कुलाधिपति द्वारा नामित दो शिक्षक, जो सदस्य होंगे ;

(सात) राज्य सरकार से परामर्श के उपरांत कुलाधिपति द्वारा नामित रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त संचालक से अनिम्न स्तर का अधिकारी, जो सदस्य होगा ; और

(आठ) कुलसचिव, जो पदेन सदस्य-सचिव होगा.

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न, परिषद् के सदस्यगण दो वर्षों की कालावधि के लिये पद धारण करेंगे.

(3) परिषद्, तीन माह में कम से कम एक बार तथा जैसी आवश्यकता हो, बैठक करेगी.

(4) परिषद् की बैठक के समय और स्थान की सूचना और उसका एजेन्डा सदस्यों के मध्य, बैठक की तारीख से कम से कम दस दिवस पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किया जाएगा :

परंतु यह कि बैठक के एजेन्डा बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए सुसंगत सूचना और समर्थन दस्तावेजों से युक्त एजेंडा की टिप्पणियां, बैठक की तारीख से कम से कम पांच दिवस पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित की जाएंगी :

परंतु यह और कि एजेन्डा की टिप्पणियों को निर्धारित समयसीमा में परिचालित करने में कोई कठिनाई होने की दशा में, इन्हें तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के भारसाधक सचिव की सहमति से बैठक के कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किया जा सकेगा.

(5) कुलपति, कभी भी, आपात बैठक बुला सकेगा, परंतु उसमें ऐसा कोई कार्य संव्यवहृत नहीं किया जाएगा, जिसकी तत्काल अत्यावश्यकता न हो और ऐसी बैठक की सूचना और उसके लिये एजेन्डा, एजेन्डा की टिप्पणियों सहित बैठक की तारीख से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किये जाएंगे :

परंतु यह और कि जहां स्थिति की यह मांग हो, कुलपति, कुलाधिपति की पूर्व अनुमति से, अल्पतर सूचना पर आपात् बैठक बुला सकेगा और उसके लिये एजेंडा, एजेंडा की टिप्पणियों सहित, ईमेल माध्यम सहित, अविलम्ब परिचालित किया जायेगा.

(6) परिषद् के छः सदस्यों से गणपूर्ति (कोरम) होगी.

(7) बैठक में कोई भी सदस्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भाग ले सकेगा और अपना मत (वोट) डाल सकेगा."

10. मूल अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

धारा 26 का संशोधन.

(पांच) इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त महाविद्यालयों और पॉलीटेक्निकों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना, इनमें से किसी विशेषाधिकार को प्रत्याहृत करना और किसी महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक के प्रबंधन को अधिग्रहित करना :

परंतु यह कि नवीन महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक की स्थापना करने या डिप्लोमा या स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को जोड़ने या उसकी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए ऐसे किन्हीं विशेषाधिकारों को देने या उन्हें प्रत्याहृत करने या अधिग्रहण करने पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा स्वविवेकानुसार ऐसे विशेषाधिकार देने, प्रत्याहृत करने, अधिग्रहित करने, जोड़ने, प्रवेश क्षमता आदि के लिए अनुमति न दी गई हो ;"

11. मूल अधिनियम की धारा 64 के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

नई धारा 65 एवं 66 का परिवर्धन (जोड़ा जाना).

"65. **नियम बनाने की शक्ति** :- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों में से समस्त या किसी प्रयोजन के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी."

66. **परिनियम, अध्यादेश एवं नियम का राजपत्र में प्रकाशन किया जाना तथा विधानमंडल के समक्ष रखा जाना** - इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश एवं नियम, इसके निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के पटल पर, जब वह सत्र में कुल तीस दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, और यदि उस सत्र जिसमें इसे पटल पर रखा गया है अथवा उसके ठीक उत्तरवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, सदन यदि परिनियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, में किसी प्रकार के उपान्तरण की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि परिनियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, नहीं बनाया जाना चाहिए तथा राजपत्र में ऐसा विनिश्चय अधिसूचित करता है, तो ऐसा परिनियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा :

परंतु यह कि ऐसा कोई उपान्तरण या विलोपन, उस परिनियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता या विलोपन पर, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा."

उद्देश्य और कारणों का कथन

इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विषयों में, जिनमें वास्तुकला और फार्मेसी सम्मिलित हैं, शोध, स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा स्तरों पर व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए एक तकनीकी विश्वविद्यालय को स्थापित तथा निगमित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004) अधिनियमित किया गया था.

विश्वविद्यालय की प्रबंध संरचना को बेहतर बनाने, महाविद्यालयों और पॉलीटेक्निकों की विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता के उपबंधों को स्पष्ट करने, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अंग्रेजी भाषा में समतुल्य पदनामों को सम्मिलित करने एवं राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये जाने का उपबंध करने के लिए अधिनियम के कुछ उपबंधों को संशोधित करना आवश्यक हो गया है.

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, उपबंध करता है, प्रथमत:, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अंग्रेजी भाषा में समतुल्य पदनामों को सम्मिलित करने के लिए ; द्वितीयत:, कुलपति के कार्यालय में अस्थायी रिक्ति के लिए उपबंध में संशोधन ; तृतीयत:, कुछ पदों पर राज्य विश्वविद्यालय सेवाओं के माध्यम से भर्ती की आवश्यकता को हटाना ; चतुर्थत:, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से संबंधित उपबंधों में संशोधन ; पंचमत:, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद्, शैक्षणिक परिषद् तथा वित्त समिति के गठन को पुनरीक्षित करने के लिए ; षष्ठत:, महाविद्यालयों और पॉलीटेक्निकों की विश्वविद्यालय की संबद्धता से सरोकार रखने वाले उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए ; सप्तत:, महाविद्यालयों और पॉलीटेक्निकों की विश्वविद्यालय से संबद्धता के उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए ; और अंतिमत:, राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये जाने का उपबंध करने के लिये.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 21 जुलाई, 2014

प्रेमप्रकाश पाण्डेय
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 2, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 एवं 27 का सुसंगत उद्धरण

परिभाषाएं

2. (चौदह) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति ;
(पन्द्रह) "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति ;

कुलपति की उपलब्धियां, कुलपति की सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि तथा उसके पद में शक्ति

13. (6) कुलपति की मृत्यु, उसके पदत्याग, छुट्टी, रूग्णता के कारण या अन्य कारण से उसका पद रिक्त होने के दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कुलाधिसचिव की नियुक्ति नहीं की गई है या कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी भी संकाय का संकायाध्यक्ष कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि धारा -12 की उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति अपना पद यथास्थिति ग्रहण कर ले ;

परंतु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छ: माह से अधिक कालावधि के लिये चालू नहीं रहेगा.

राज्य विश्वविद्यालय सेवा के माध्यम से भर्ती.

17. कुलसचिव तथा अन्य अधिकारियों के ऐसे संवर्गों के पद, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) के अधीन गठित की गई राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारियों से भरे जायेंगे. ऐसे अधिकारियों की अनुपलब्धता के मामले में ऐसे पद, कुलाधिपति द्वारा उपयुक्त अधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त करके, भरे जायेंगे.

कुल सचिव

18. (1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनिक अधिकारी होगा और वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुलपति के साधारण अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए करेगा. वह सभा के, कार्य परिषद् के, विद्या परिषद् के अन्य विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा.

(2) कुल सचिव की नियुक्ति धारा-17 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी.

परंतु विश्वविद्यालय के प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् की जाएगी तथा वह दो वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करेगा, जैसा कि कुलाधिपति अवधारित करे.

(3) परिनियमों में अन्यथा उपबंधित कार्य परिषद् के शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए, कुल सचिव, यह देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिये व्यय किये जाते हैं जिसके लिये वे मंजूर या आवंटित किये गये हैं.

(4) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित किये गये के सिवाय, समस्त संविदाएं विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी और समस्त दस्तावेजों तथा अभिलेख विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव द्वारा अधिप्रमाणीकृत किए जाएंगे.

(5) कुल सचिव ऐसे शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

कार्य परिषद्

22. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिका निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(एक)	कुलपति ;	अध्यक्ष
(दो)	तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव ;	सदस्य
(तीन)	वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव ;	सदस्य
(चार)	उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव ;	सदस्य
(पांच)	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति ;	सदस्य
(छः)	कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किसी आई. आई. टी. का डायरेक्टर ;	सदस्य
(सात)	भारतीय औद्योगिक संघ, पूर्वी क्षेत्र का अध्यक्ष ;	सदस्य
(आठ)	सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं के दो प्राचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे ;	सदस्य
(नौ)	समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष ;	सदस्य
(दस)	विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों/सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं से दो आयार्च, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किए जाएंगे ;	सदस्य
(ग्यारह)	सम्बद्ध पॉलीटेक्निकों से दो विभागाध्यक्ष, जो कुलाधिपिति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे ;	सदस्य
(बारह)	संचालक, तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़ ;	सदस्य
(तेरह)	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की केन्द्रीय क्षेत्रीय समिति, भोपाल का अध्यक्ष ;	सदस्य
(चौदह)	तकनीकी तथा प्रबंधकीय अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;	सदस्य

(पंद्रह) विधान सभा के तीन सदस्य जो विधान सभाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जावेगा ; — सदस्य

(सोलह) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र का एक शिक्षाविद् जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जावेगा ; — सदस्य

(सत्रह) कुलसचिव — सदस्य-सचिव

(2) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे.

(3) कार्य परिषद् के सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी,

परंतु स्थगित बैठक जो एक घंटे पश्चात् पुनः आहूत किया जावेगा, के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी.

कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कर्त्तव्य

23. (बारह) विद्या परिषद् की सिफारिश पर और इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की विशेषाधिकार देना और इन विशेषाधिकारों में से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना तथा उस रीति में तथा उन शर्तों के अधीन, जो परिनियम तथा अध्यादेश में विहित की गई है महाविद्यालय का प्रबंध ग्रहण करना :

वित्त समिति

24. (1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्या होंगे अर्थात् :-

(एक) कुलपति — अध्यक्ष

(दो) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति जो वित्त विशेषज्ञ हों — सदस्य

(तीन) विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी — सदस्य

(चार) तकनीकी शिक्षा विभाग का भारसाधक सचिव — सदस्य

(पांच) वित्त विभाग का भारसाधक सचिव — सदस्य

(छः) विश्वविद्यालय का कुलसचिव — सदस्य-सचिव

विद्या परिषद्

25. (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(एक) कुलपति — अध्यक्ष

(दो) कुलाधिसचिव — सदस्य

(तीन) संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ — सदस्य

(चार) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल — सदस्य

(पांच) संकायों के संकायाध्यक्ष — सदस्य

(छः) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष — सदस्य

(सात) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष — सदस्य

(आठ) चार प्राचार्य, जिनमें से दो सम्बद्ध महाविद्यालय से, और दो सम्बद्ध पॉलीटेक्निकों से होंगे जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे. — सदस्य

(नौ) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से दो प्रोफेसर जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे. — सदस्य

(दस) विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों से दो रीडर, जिनमें से एक महिला अध्यापक होगी और जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे. — सदस्य

(ग्यारह) विश्वविद्यालय का कुलसचिव — सदस्य-सचिव

(2) विद्या परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(3) विद्या परिषद् को किसी ऐसे विशिष्ट कामकाज की जो कि परिषद् के समक्ष विचारार्थ आए विषय वस्तु का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने, की शक्ति होगी, इस प्रकार सहयोजित किए गए सदस्यों को ऐसे कामकाज के, जिसके कि संबंध में वे सहयोजित किए गए है, संपादन के बारे में परिषद् के सदस्यों के समस्त अधिकार होंगे.

(4) विद्या परिषद् के समस्त सदस्य, जो पदेन सदस्यों से तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट किए गए सदस्यों से भिन्न हों, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

विद्या परिषद् की शक्तियां एवं कर्तव्य

26. (1) (पांच) किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये जाने संबंधी आवेदन पर विचार करना ;
परंतु किसी भी ऐसे आवेदन पर उस समय तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसी संस्था को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए. आई. सी. टी. ई.) और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो.

कठिनाईयों का निराकारण.

64. यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रथम गठन या पुनर्गठन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, उस अवसर पर जैसा अपेक्षित हो उसके अनुसार, आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगी जो कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हो.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.